मेहिबूबसाब अब्बासअबी नदाफ

बनाम

कर्नाटक राज्य

1 अगस्त 2007

[एस.बी. सिन्हा और एच.एस. बेदी जे.जे.,]

दंड संहिता, 1860

धारा 302/34- एक महिला की कथित रूप से उसके पति और सास-ससुर द्वारा जलाकर मृत्यु कारित की गई - मृतका के चार मृत्युकालिक कथन दर्ज किए गए - उच्च न्यायालय ने सास-ससुर को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया, लेकिन पति की दोषिसिद्धि को कायम रखा गया। यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि हो सकती है जो कि निर्विवाद रूप से एक मृत्यु कालिक कथन पर आधारित होना चाहिए बशर्ते उसे स्वेच्छया से और सच्चाई से प्रस्तुत किया गया हो- मृत्यु कालिक कथन में निरंतरता उस पर पूरा भरोसा रखने के लिए प्रासंगिक कारक हैं-तथ्यों पर, मृतका ने विभिन्न मृत्यु कालिक कथनों में विरोधाभासी और असंगत रूप अपनाया- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो मृत्यु कालिक कथनों में उसने मुख्य रूप से अपने सास-ससुर को कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया था

और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल पति ही उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था-पति की दोषसिद्धि को भी अपास्त कर दिया गया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - मृत्यु कालिक कथन विरोधाभास और विभिन्न मृत्यु कालिक कथनों में असंगत स्थिति का प्रभाव.

अपीलार्थी पर उसके माता-पिता के साथ कथित रूप से अपनी पत्नी को आग लगाकर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी के कहने पर उसकी पत्नी ने अपने बेटे को शर्ट पहनाने से इन्कार कर दिया जिस पर वह नाराज हो गया और उसने झाड़ू की छड़ी से अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। जब वह गिर पड़ी तो उसके सास-ससुर ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके चार मृत्यु कालिक कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृतका के सास-ससुर को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन पति की दोषसिद्धि को यथावत रखा गया जिसके द्वारा यह अपील दायर की गई।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या मृतका द्वारा अपने मृत्यु कालिक कथनों में लिए गए विरोधाभासी और/या असंगत रुख को ध्यान में रखते हुए क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ अपने मामले को शंका से परे साबित किया।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया

1.1. दोषसिद्धि निर्विवाद रूप से मृत्यु कालिक कथन पर आधारित हो सकती है, लेकिन उस पर विश्वास करने से पहले यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या उसे स्वेच्छया से और सच्चाई से प्रस्तुत किया गया था। मृत्यु कालिक कथन में निरंतरता उस पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए प्रासंगिक कारक है। इस मामले में मृतका ने स्वयं विभिन्न मृत्यु कालिक कथनों में विरोधाभासी और असंगत रुख अपनाया था इसलिए उन्हें उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। [पैरा 6,] [717 -सी,डी,]

1.2 मृतका ने चार मृत्यु कालिक कथन दर्ज करवाए थे, दो चिकित्साधिकारी के समक्ष, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष और एक पुलिस अधिकारी के समक्ष। उक्त मृत्यु कालिक कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इस कथन के अनुसार यह घटना

दुर्घटनास्वरूप कारित हुई, दूसरे कथन के अनुसार मृतका ने इन कृत्यों के अनुसार मुख्य रूप से अपने सास-ससुर को जिम्मेदार ठहराया था तथा एक और अन्य कथन में उसने सभी अभियुक्तगण द्वारा उस पर कैरोसीन डालकर आग लगाकर उसे मारने का कथन किया है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दो प्रथम मृत्यु कालिक कथनों में मृतका ने उसके सास-ससुर को इस कृत्य के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया था जिन्हें कि दोषमुक्त किया जा चुका है। यह माना जाना कठिन है कि केवल अपीलार्थी ही उसकी मृत्यू कारित करने के लिए जिम्मेदार था। अतः विवादित निर्णय तद्नुसार अपास्त किया जाता है। [पैरा 3, 5, 7 और 10,] [716-ए 717-बी, सी, ई, एफ; 718-ई]

मोहम्मद अरशद बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2006) नो सप्लीमेन्ट्री. एस.सी.आर. 359=2006 (12) स्केल 370, में प्रतिपादित सिद्घांत पर विश्वास किया गया।

मनिबेन पत्नि दनाभाई तुल्सीबाई महेरिया बनाम गुजरात राज्य, (2007) 7 स्केल 93, विशिष्ट

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नंबर 130/2006

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के निर्णय और आदेश 09.11.2005 जो कि आपराधिक अपील संख्या 1827/2005 में, जिसमें

.

किरण सुरी जो कि अपीलार्थी थे,

संजय आर हेगडे जो कि प्रत्यर्थी की ओर से थे,

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में अपीलार्थी मृतका हुसैन बी का पति है। वे दोदवाड नामक गांव में रह रहे थे। 19.05.2004 को लगभग सुबह 11.00 बजे की बात है। अपीलार्थी ने मृतका को अपने बेटे इनायत को शर्ट पहनाने के लिए कहा था। उसने कथित तौर पर ऐसा नहीं किया जिस पर अपीलार्थी ने उस पर झाडू से हमला किया। उसकी सास और ससुर द्वारा भी कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जब कथित तौर पर वह नीचे गिर गई थी तो आरोपी नंबर 3 (सास) ने एक बाती का चूल्हा लाई और उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और आरोपी नंबर 2 (ससुर) ने उसे आग लगा दी थी। वह गंभीर रूप से जल गई उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे के.एल.ई. अस्पताल बेलगाम में रेफर कर दिया गया, जहां उसने चोटों के कारण 03.06.2004 को दम तोड दिया।

अभियोजन पक्ष के सभी गवाह अभियोजन गवाह संख्या 1 से 7 और 9 से 12 जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए परीक्षित करवाए गए थे, वे पक्षद्रोही हो गए। यहां तक कि उसके अपने माता-पिता, भाईयों और साली ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

.

यद्यपि, अपीलार्थी और उसके माता-पिता, जो मृतका हुसैन बी की हत्या के लिए अभियोजन किए गए थे, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, वह दोषसिद्धि कथित रूप से मृतका द्वारा की गई मृत्यु कालिक कथनों पर या उनके आधार पर थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के कारण यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मृतका की हत्या से मौत हुई थी, राय दी कि मृतका द्वारा दिये गये स्पष्ट बयान के बावजूद उस पर मिट्टी का तेल डालने और ससुराल वालों द्वारा उसे आग लगाने के कृत्य के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी के खिलाफ विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा गया कि

> "........... दोनों मृत्यु कालिक कथनों को पढ़ने पर, हालांकि हम पाते हैं कि इस बात की संभावना है कि आरोपी संख्या 2 और 3 भी इस भयानक कृत्य में भाग लिया है, दूसरे मृत्यु कालिक कथन उसे आग लगाने में उनकी भागीदारी के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया गया है, इस प्रकार अभियुक्त संख्या 2 व 3 को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी हैं कि प्रदर्श पी 22 मृत्यु कालिक कथन

ए.एस.आई. द्वारा दर्ज किया गया था जो कि अभियुक्त संख्या 2 द्वारा उस पर पानी डालकर आग बुझाने के प्रयास को दर्शाता है। इन सभी कारकों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संख्या 1 के संदर्भ में अपराध साबित कर दिया है लेकिन यहां तक कि अभियुक्त संख्या 2 व 3 का संबंध में परिस्थितियां अपराध में भागीदारी के बारे में संदेह पैदा करती हैं ऐसी दशा में उन दोनों व्यक्तियों का और उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। “

2.एक छोटा सा सवाल जो हमारे सामने विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या मृतका द्वारा अपने मृत्यु कालिक कथनों में विरोधाभासी और/या असंगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए विवादित निर्णय को कानूनी रूप से कायम रखा जा सकता है।

3.मृतका ने चार मृत्यु कालिक कथन किए हैं दो चिकित्साधिकारी के समक्ष, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा एक पुलिस अधिकारी के समक्ष। चिकित्साधिकारियों के सामने अपने बयानों में उसने आरोप लगाया कि 19.05.2005 को सुबह 11.00 बजे जब वह अपने घर पर खाना बना रही थी तो गलती से चूल्हा फट गया और वह जल गई। उसके मृत्यु कालिक कथन जो कि परप्पा गुरप्पा थोटागी, ए. एस. आई. पुलिस थाना

डोडडावाडा द्वारा दिनांक 30.05.2005 को 8.30 बजे दर्ज किया गया, उसमें उसने आरोप लगाया:

" श्री महबूबा साहब ममदापुर से मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे तीन बच्चे हैं। मेरे पति ड्राईवर हैं। वह बार-बार मुझे परेशान कर रहा है, मुझे पीट रहा है। मेरी सास, ससुर और पति मुझे सोने की चैन लाने के लिए मजबूर कर रहे थे। वे मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं। दिनांक 29.05.2005 को सुबह 9.30 पर मैं घर पर थी तब फिर मेरे से ससुर, सास और पति गाली-गलौंच करने लगे। मुझे मेरे पति ने मुझे पटक दिया जैसे ही मैं नीचे गिरी, वे मिट्टी का तेल जो तेल के चूल्हें में था मेरे शरीर पर डाला और मैच बॉक्स से मुझे जला दिया। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ। अब मुझे पता चला कि मैं के.एल.ई. अस्पताल में हूं और मेरा इलाज चल रहा है। मुझे पता चला कि मेरा शरीर पूरी तरह से जल गया है। मेरे पति ससुर और सास मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालने और मुझे जलाने के जिम्मेदार हैं। मैं यह कथन अपने ससुर, सास को उचित सजा देने के लिए कह रही हूं जो कि मेरे कहेनुसार लिया गया है और सुना गया है। "

.

4.फिर भी मृतका द्‌वारा की गई एक अन्य कथित मृत्यु कालिक कथन में, जिसे कार्यकारी मजिस्टे᳚ट द्‌वारा 31.05.2004 पर दर्ज किया गया था, उसने आरोप लगाया:

" कि 29.05.2004 सुबह लगभग 11.00 बजे जब मैं घर के अंदर थी, मेरे पति मेहबूबा ने इनायत को शर्ट पहनने के लिए कहा मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। यह कहकर कि मैंने उनका कहना नहीं माना तो, उन्होंने वहां पडी झाडू की छड़ी को उठा लिया और मुझे हत्थे से पीठ पर मारने लगे जब मैं गिर गई। मेरे ससुर अब्बास अली और सास गोरीमा दोनों ने मुझे गाली देते हुए चूल्हा ले लिया जो वहां पर था फिर उसमें से मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। जिसकी वजह से जलती हुई हालत में मैं चिल्लाने लगी और बाथरूम की ओर भागी तब तक मेरे पति और ससुर मेरे ऊपर पानी डाला मेरा शरीर जल रहा था, वे मुझे घर से बाहर ले आए। तब तक गली में लोग जमा हो गए थे। मेरे पति वहां गाडी लाए थे। हमारी लाइन के बुजुर्ग राजासाहब नदाफ और हुबली राजासाहब और मेरे पति धारवाडा सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए। "

.

5. हम पी.डब्ल्यू. 13 डॉ. बालप्पा बसप्पा ओनी तथा पी.डब्ल्यू. 14 डॉ. राजशेखर चेन्नाबसप्पा अंगाडी और पी.डब्ल्यू. 16 परप्पा गुरप्पा थोटागी के बयानों का अवलोकन करें, जिनके सामने उपरोक्त कथित मृत्यु कालिक कथन किए गए थे। मृतका की मृत्यु कालिक कथनों को दर्ज करने के संबंध में उनके बयानों के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि यह मृत्यु कालिक कथन में उसने घटना को दुर्घटनावश होना जाहिर किया है, दूसरे मृत्यु कालिक कथन में उसने उसके सास-ससुर को गाली देने और आग लगाने के कार्य के लिए जिम्मेदारी ठहराया और केवल एक मृत्यु कालिक कथन में उसने अभियुक्तगण को उस पर मिट्टी का तेल डालने और जलाने का जिम्मेदार बताया।

6.दोषसिद्ध निर्विवाद रूप से मृत्यु कालिक कथन पर आधारित हो सकती है। लेकिन, इस पर विश्वास करने से पहले, यह माना जाना चाहिए कि इसे स्वेच्छा से और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया था। मृत्यु कालिक कथन में निरंतरता उस पर पूर्ण निर्भरता रखने के लिए प्रासंगिक कारक हैं। इस मामले में, मृतका ने स्वयं विभिन्न मृत्यु कालिक कथनों में विरोधाभासी और असंगत रुख अपनाया था। इसलिए, उन्हें उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

7.यद्यपि, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगडे ने कहा कि मृतका को गाली देने पीटने और आग लगाने का पूरा एक संव्यवहार है। ऐसा ही मानते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतका की दो मृत्यु कालिक कथनों में, मृतका ने इन कृत्यों के लिए मुख्य रूप से अपने सास-ससुर को जिम्मेदार ठहराया और जिन्हें कि दोषमुक्त किए जाने की दशा में यह माना जाना मुश्किल है कि केवल अपीलार्थी ही उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था।

8.मोहम्मद अरशद बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2006) 12 स्केल 370, इस न्यायालय ने निम्नानुसार राय दीः

" जहाँ तक मोहम्मद अशरफ द्वारा दायर अपील का संबंध है, हमारी राय है कि वह संदेह के लाभ प्राप्त करने का हकदार है। पहले दो मृत्यु कालिक कथनों में उनका नाम नहीं लिया गया था। उनका नाम केवल तीसरे मृत्यु कालिक कथन में लिया गया था। मृतका के पीठ पर छड़ी पीटने से कोई चोट नहीं पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके खिलाफ खिलाफ बताए गए आशय को जाहिर नहीं किया गया है, मृतका ने पुलिस अधिकारी के समक्ष उसके तीसरे मृत्यु कालिक कथन को बढ़ाचढ़ा कर दर्ज कराया। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हम

कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थी मोहम्मद अरशद का नाम पहले या दूसरे मृत्यु कालिक कथन में क्यों नहीं लिया होगा, यदि उसकी संलिप्तता का उद्देश्य हो कि उसने 60,000/- रूपये की राशि का भुगतान नहीं किया गाया था जैसा कि मृतका द्वारा खुलासा किया गया था।''

यह अदालत, बलवीर सिंह और बनाम पंजाब राज्य, (2006) 9 स्केल 537 सहित महाराष्ट्र बनाम, संजय पुत्र दिगंबराव राजहंस, (2004) 13 एससीसी 314 और मुथु कुट्टी और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, टी.एन., (2005) 9 एस.सी.सी. 113 में पर विश्वास करती है जिसमें निर्धारित किया गया किः

" हमाारी यह राय है कि सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अपीलार्थी क्रम 1 के संबंध में निष्कर्श को स्वीकार किया जाााना चाहिए, दो मृत्यु कथनों के बीच की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी क्रम 2 को शंका का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि, हम दोनांे अपीलार्थियों की धारा 498ए आई.पी.सी. में की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हैं।''

9. हम इस बात से अवगत है कि मनीबेन पत्नी दानाभाई तुलसीबाई, महरिया बनाम गुजरात राज्य, (2007) 7 स्केल 93, इस

न्यायालय ने मृत्यु कालिक कथन पर विश्वास किया, लेकिन उक्त मामलों में मृतका द्वारा लगातार बयान दर्ज कराए थे।

10. उपरोक्त कारणों से यह विवादित निर्णय यथावत नहीं रखा जा सका है जो कि तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी, जो अभिरक्षा में हैं, यदि किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

आर.पी. अपील स्वीकार की गई।

.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कमल कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।